जातियों के कल्याण और विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था।

(3) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण), नियमावली, 1995

अनुसचित जातियां और अनुसचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 को भारत के राजपत्र में दिनांक 31.3.1995 को अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की बढ़े हुए मानदण्डों की व्यवस्था है। सुरक्षात्मक और निवारणात्मक उपायों का प्रबन्ध, शीघ्र जांच एवं अभियोजन की व्यवस्था करने के लिए भी राहत सम्बन्धी भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप दिया गया है।

(4) अनन्य विशेष न्यायालय

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मिजोरम को छोड़कर) द्वारा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करने के अलावा आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों ने मामलों का शीघ्र परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्रमशः 3, 10 और 16 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं।

(5) विशेष सैल

अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष सैलों की स्थापना की गई है।

(6) मंत्री द्वारा घटना स्थल का दौरा

बिहार के भोजपुर जिले के सरथुआ गांव में जमींदारों द्वारा 6 अनुसूचित जाति व्यक्तियों की हत्या के बारे में 27.7.95 को समाचार सुनने पर, कल्याण मंत्री 28 जुलाई, 1995 को स्वयं घटना स्थल पर गए। इसी प्रकार, कल्याण मंत्री ने अत्याचारों से मारे गए छः अनुसूचित जाति व्यक्तियों के परिवारों को सान्त्वना देने के लिए सिवान का भी दौरा किया। बिहार राज्य सरकार को इन घटनाओं से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत का प्रबन्ध करने के लिए केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में 25.00 लाख रुपए की धनराशि तदर्थ आधार पर प्रदान की गई।

एक अन्य मामले में, जहां तमिलनाडु के सेलम जिले के कट्टी जाने का कट्टी गांव में एक दलित लड़की को अंधा बना दिया गया था, कल्याण राज्य मंत्री उस लड़की को देखने मद्रास अस्पताल गए। उन्होंने उस लड़की को 5,000/- रुपए का व्यक्तिगत अंशदान दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उस लड़की की नेत्र ज्योति वापस आए।

(घ) और (ङ) जब कभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के मामले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के ध्यान में आते हैं, तो प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन से तथ्यपरक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराएं लगाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

National Land use and Conservation Board

2695. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the National Land Use and Conservation Board has prepared nation wide maps on the land degradation;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any study has been conducted with the help of these maps to identify the causative factors effecting the degradation of soil; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.